## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/ईआर/2016/एसडीआर

दिनांक: 31 मई, 2016

सेवा में

सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : फार्म-26 में शपथ-पत्र- स्पष्टीकरण।

महोदय,

संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचनों का संचालन अधिनियम, 1961 के साथ संलग्न फार्म-26 में, अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ शपथपत्र प्रस्तुत करें। आयोग ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2013 के अपने पत्र सं. 491/एम एस/2013/संचार के द्वारा यह निर्देश दिया था कि फार्म 26 के पैरा 3 में अभ्यर्थियों से उनके सोशल मीडिया एकाउन्ट, यदि कोई हो, से संबंधित सूचना भी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

फार्म-26 के अनुसार, सोशल मीडिया एकाउन्ट के बारे में सूचना सांविधिक प्रपत्र का हिस्सा न होने के नाते, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अभ्यर्थी फार्म-26 में सोशल मीडिया एकाउंट सम्बन्धी जानकारी नहीं शामिल करता है तो यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी से उक्त ब्योरे को शामिल करने हेतु नया शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए कहा जाए। ऐसे मामले में सोशल मीडिया एकाउंट के बारे में सूचना, यदि कोई हो तो, अभ्यर्थी द्वारा अलग से एक सादे कागज़ पर प्राप्त कर ली जाए। किसी भी स्थिति में सोशल मीडिया एकाउंट के बारे में फार्म-26 में सूचना उपलब्ध न काराना, फार्म-26 में शपथ-पत्र को अधूरा मानने या नामनिर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने का आधार नहीं माना जाएगा।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण राज्य सभा निर्वाचनों के रिटर्निंग अधिकारियों सिहत राज्य के सभी रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में तुरंत लाया जाए। उन राज्यों के विषय में जहां राज्य सभा और विधान परिषदों के लिए निर्वाचन प्रगति पर हैं, यह स्पष्टीकरण उनके रिटर्निंग अधिकारियों को आज ही संप्रेषित कर दिया जाना चाहिए।

भक्द्रीय,

(के.एफ. विल्फ्रेड)

प्रधान सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA** 

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.3/ER /2016/SDR

Dated: 31st May, 2016

To

Chief Electoral Officers of All States and UTs.

Sub:

Affidavit in Form 26- clarification.

Sir,

All candidates at elections to the two Houses of Parliament and State Legislatures are required to file, among other documents, affidavit in Form 26 appended to the Conduct of Elections Rules, 1961. The Commission, vide its letter dated 491/SM/2013/Communication, dated 25<sup>th</sup> October, 2013, had instructed that the candidates shall also be asked to furnish information about their Social Media account, if any, in Para 3 of Form 26.

Information about Social Media account being not a part of the statutory format as per Form 26, It is clarified that if a candidate does not add the information pertaining to Social Media account in Form 26, it is not necessary to ask the candidate to file a fresh affidavit adding the said particulars. In such case, the information about Social Media account, if any, may be obtained from the candidate separately on a plain paper. In any event, non-furnishing of information about Social Media account in Form 26 shall not be treated as a ground for considering the affidavit in Form 26 as incomplete or to reject the nomination paper.

The above clarification should be brought to the notice of all Returning Officers in the State including the Returning Officers for Rajya Sabha elections urgently. In the case of those States where elections to Rajya Sabha and Legislative Councils are in progress now, this clarification should be communicated to the Returning Officers today itself.

Yours faithfully,

(K.F.WILFRED) PRICCIPAL SECRETARY